

80 10
2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
मरिवादी संख्या - 2 की खौर से 81 नोट्स
कुमार गैला एडवोकेट द्वारा जवाब व बाल (नाम)
पेश किया गया जवाब हेतु खबर पत्र
गया मरिवादी संख्या - 1 बाबजू 25 फा के
उपस्थित नहीं था। तब तब भावों
लगवाई गई फिट भी कोई उपस्थित नहीं
हए न ही इनकी बोट ले किसी ने
उपस्थित की गई। तब इनके विरुद्ध
एक पेशीय कार्रवाई का आदेश दिया
जा रहा है पत्रावली वास्तव में जवाब में किताब
11/12/24 को पेश हो।

[Signature]
30/11/24

11.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष
उपस्थित। वादी एवं मरिवादी गण के
अधिकारों के बाद पत्र के अनुसार किताब
एवं कब्जे के अनुसार प्रत्येक डिब्बी
कसने हेतु सख्ती दी गई। इसलिए सख्ती
के आधार पर प्रत्येक डिब्बी जारी
हो तदनुसार डकननामा आदेश
जारी हो। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के
इंतजार में रहे।

11/12/24
उपखंड अधिकारी
इंगला

81/12/24 तहसीलदार इंगला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त
हो जाने से पत्रावली को सीगट से हलब की
गई। तहसीलदार इंगला से प्राप्त विभाजन
प्रस्ताव के अनुसार वकील वादी ने फाईनल
डिक्री किये जाने की राहस्यारी दी गई है।
अतः तहसीलदार इंगला के पत्र का क्रम
संख्या 12025/19 दिनांक 3.1.2025 के
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का एवं
पत्रावली का अंतर्लोकन किया
गया प्राप्त विभाजन प्रस्ताव

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Stamp]



FORM NO. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उपखण्ड अधिकारी
डूंगला डूंगला
गंगावाड़ वनाम बगदीराम
 फर्म मुकदमा नाबपत्र चारा डकतन नं. 82/2014 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व शारीक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेशानुसार होने से निम्नानुसार फाइनल डिक्री किया जा रहा है। मौजा रैमलिया पीलखेड़ा	
	<u>नाम स्वदेदार</u> <u>डाकणीनम्बर</u> <u>रकबा</u>	
1.	गंगावाड़ पालिका लु 309/1 0.0307 मेघतल सा. देह स्वदेदार	
	<u>जोग</u> <u>1</u> <u>0.0307</u>	
2.	मैकलाल पुत्र माना मेघतल 309/2 0.0125 सा. देह स्वदेदार	
	<u>जोग</u> <u>1</u> <u>0.0125</u>	
3.	बगदीराम पुत्र महाराम उर्फ 309/4 0.0737 मीटू मेघतल सा. देह स्वदेदार	
	<u>जोग</u> <u>1</u> <u>0.0737</u>	
4.	गणपत पुत्र कालु मेघतल 309/3 0.0921 सा. देह स्वदेदार	
	<u>जोग</u> <u>1</u> <u>0.0921</u>	



उपरोक्तानुसार गणपत केर्ड में कमलदामरद किया जा रहा है। डिक्री प्रपत्ति अलग से नोंद में लिख ले। मिथी सुनाया गया पत्रावली केसुम सुमार लोक नम्बर से कम से।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला